जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./14/डी– 751 दिनांकः– 13/6/14

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **105वीं बैठक दिनांकः 25.04.14 को अपरान्ह 04.00 बजे** जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"चिन्तन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		105:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 103वीं बैठक दिनांक 14.02.14 व 104वीं बैठक दिनांक 28.02.14 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 103वीं बैठक दिनांक 14.02.14 व 104वीं बैठक दिनांक 28.02.14 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन होकर प्राप्त होने के पश्चात अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
2.	13ए	105:2	राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पात्र 22 शिक्षकों को आवासीय भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर पूर्व में प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णयानुसार राजस्थान के 50000 से अधिक की आबादी के किसी भी शहर/कस्बे में स्वयं/पति/पत्नि/आश्रित के नाम से फ्री होल्ड/लीज होल्ड पर कोई भूखण्ड/भवन नहीं होने संबंधी व उक्त नियम के अर्न्तगत या अन्य नियमों/प्रावधान के तहत राजस्थान राज्य के प्राधिकरण/नगर निगम/नगर विकास न्यास/नगर पालिका/रीको/राज.आवासन मण्डल अथवा किसी अन्य राजकीय/स्वायत्तशासी विभाग से कोई भूखण्ड आवंटन नहीं होने संबंधी शपथ पत्र लिया जाता था। एलपीसी की 99वीं बैठक दिनांक 12.09.13 में शिक्षकों के प्रकरणों में शिक्षा विभाग से भी अनुशंषा प्राप्त करने का निर्णय लिया गया था। समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के अन्तर्गत केवल पुरस्कार/पदक/साईटेशन की प्रमाणित प्रति, मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति व शपथ पत्र में केवल नियम 17ए के अन्तर्गत राजस्थान में कहीं भी भूखण्ड आवंटन न होने का उल्लेख कराया जाना ही पर्याप्त है। शिक्षा विभाग की अनुशंषा प्राप्त करने की भी आवश्यकता नहीं है। अतः इस दिशा निर्देश के क्रम में निम्नांकित राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पात्र शिक्षकों को पीताम्बरा आवासीय योजना में प्रत्येक को 200 वर्गमीटर नॉन कार्नर भूखण्ड योजना की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। उपायुक्त जोन–13ए द्वारा उपलब्ध नॉन कार्नर 200 वर्गमीटर के भूखण्डों में से लॉटरी द्वारा आवंटन की कार्यवाही की जावें। 1. श्री नारायण लाल कूलवाल 2. श्री ललित किशोर यादव 3. श्री बंशीधर सामोदा 4. श्री दिनेश कुमार शर्मा 5. श्री जगदीश प्रसाद चांवला 6. श्री राकेश कुमार लाटा 7. श्री योगेन्द्र सिंह चाहर

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर